9+11

58

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सवेयोजन विभाग
संख्या 214/ VIII / 680 (श्रम) / 2002
देहरादून, 07 फरवरी 2015
अधिसूचना

श्री राज्यपाल,उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) नियम–282 का संशोधन करते हुए नियम –282को उप नियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित करते हुए उसके बाद कमशः उपनियम(2) ,(3) व (4) निम्नवत् जोडे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित उपनियम
नियम–282: विवाह हेतु आर्थिक सहायता– ऐसे निर्माण कर्मकार जिन्होंने पंजीकरण के उपरान्त तीन माह की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली हो, अपनी आश्रित पुत्री के विवाह हेतु इक्यावन हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। निधि की महिला सदस्य भी स्वयं के विवाह हेतु इस सहायता के लिए पात्र होगी। यह सहायता फायदाग्राही को दो पुत्रियों के विवाहों तक सीमित रखते हुए स्वीकृत् की जाएगी। इस हेतु आवेदन प्रारूप **XLIV** में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।	**नियम–282 (1): विवाह हेतु आर्थिक सहायता–**ऐसे निर्माण कर्मकार जिन्होंने पंजीकरण के उपरान्त तीन माह की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली हो, अपनी आश्रित पुत्री के विवाह हेतु इक्यावन हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। निधि की महिला सदस्य भी स्वयं के विवाह हेतु इस सहायता के लिए पात्र होगी। यह सहायता फायदाग्राही को दो पुत्रियों के विवाहों तक सीमित रखते हुए स्वीकृत् की जाएगी। इस हेतु आवेदन प्रारूप **XLIV** में ऐसे दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।
	(2)मैदानी क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों को साइकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों अथवा उनके आश्रित को सिलाई मशीन उपलब्ध कराया जाना– इस योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के निर्माण कर्मकारों को कार्यस्थल पर यथासमय पहुँचने हेतु उनके आवेदन पर साईकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण कामगारों द्वारा आवेदन किये जाने पर उनको अथवा उनके आश्रित को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा केवल एक बार उपलब्ध कराई जाएगी।
	(3)निर्माण श्रमिकों का बीमा– इस योजना के अन्तर्गत

	निर्माण श्रमिकों को आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत आवृत्त करने हेतु देय वार्षिक प्रीमियम रूपया 100/– प्रति लाभार्थी की दर से बोर्ड की कल्याण निधि से भुगतान किया जाएगा।
	(4) निर्माण श्रमिकों के स्थलीय पंजीकरण हेतु मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन की व्यवस्था– राज्य की दुर्गम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कार्यस्थल पर ही श्रमिकों का पंजीकरण किये जाने हेतु राज्य के दोनों मण्डलों के लिए एक–एक मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन की व्यवस्थ की जाएगी, जिसके लिए वाहन चालक तथा पंजीकरण स्टाफ आऊटसोर्स से नियोजित किया जाएगा।

(आर0 के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या 214 / VIII / 680 (श्रम) /2002 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2.आयुक्त,कुमाऊँ मण्डल , नैनीताल,/गढ़वाल मण्डल ,पौड़ी।

3.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4.श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी ,नैनीताल।

5.अपर /उप श्रमायुक्त , उत्तराखण्ड।

6.समस्त सहायक श्रम आयुक्त,उत्तराखण्ड।

7.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियॉं शासन को तथा 50 प्रतियॉं श्रम आयुक्त ,उत्तराखण्ड हल्द्वानी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रमेश कुमार)
संयुक्त सचिव